# THE GOVT.OF INDIA ACT-1935 (Part-2)

FOR: U.G.PART-3,PAPER-6

ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA.

Edit with WPS Office

# गवर्नर जनरल की शक्तियाँ

- गवर्नर जनरल ही भारत के संपूर्ण प्रशासन के लिए अंतिम रूप से उत्तरदाई था ।मंत्री गवर्नर जनरल की इच्छा अनुसार ही पद पर रह सकते थे एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार भी उसे ही प्राप्त था। आरक्षित हस्तांतरित विषयों के संचालन का अधिकार भी गवर्नर जनरल को प्राप्त था । वह मंत्रियों को चुनने, विधायकों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या उसे सम्राट की स्वीकृति के लिए रखने को अधिकृत था ।इन अधिकारों के प्रयोग के संबंध मे मंत्रियों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं था।

Edit with WPS Office

# गवर्नर जनरल की शक्तियां

- विधायन के क्षेत्र में गवर्नर जनरल को निषेध (वीटो) का अधिकार प्राप्त था जिसके कारण वह विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों को कानून बनाने से रोक सकता था।
- गवर्नर जनरल को प्रशासनिक क्षेत्र में मंत्रियों ,रिजर्व बैंक के गवर्नर, संघीय न्यायाधीशों ,भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्त एवं पदच्युति का अधिकार , राज्य परिषद के सदस्यों को नामांकित करने तथा विधानमंडल में देशी रियासतों के प्रतिनिधि के लिए निश्चित संख्या की पूर्ति के संबंध में अधिकार प्राप्त थे।

Edit with WPS Office

# गवर्नर जनरल की शक्तियां

- गवर्नर जनरलको तीन असाधारण शक्ति प्राप्त थे-

1. अध्यादेश जारी करना
2. नियम कानून बनाने एवं लागू करने की अंतिम शक्ति
3. आपातकाल की घोषणा कर गवर्नर जनरल 6 माह तक केंद्रीय सरकार के सभी कार्य अपने हाथों में ले सकता था।

- संघीय क्षेत्र के अतिरिक्त प्रांतीय मामलों में भी गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप का अधिकार था जिससे प्रांतीय स्वायत्तता प्रभावित होती थी।

Edit with WPS Office

# संघीय विधानमंडल

- संघीय विधानमंडल के दो सदन थे-

1. राज्य परिषद(Council of states)
2. संघीय सभा(Federal Assembly)

- **राज्य परिषद-** यह एक स्थाई सभा थी और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाने थे। इसके कुल सदस्यों की संख्या 260 होनी थी जिसमें 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकाधिक 104 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होने थे जिनका मनोनयन संम्बद्ध राजा द्वारा किया जाता था।

Edit with WPS Office

# संघीय विधानमंडल

- ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने वालों 156 सदस्यों में से 150 निर्वाचन द्वारा एवं गवर्नर जनरल द्वारा महिलाओं, अल्पमत, दलित वर्ग में से मनोनीत किए जाते थे। ब्रिटिश क्षेत्र में 150 स्थानों का विभाजन किस प्रकार किया गया-

1. सामान्य वर्ग -75 2. मुस्लिम समुदाय – 49

3. अनुसूचित जाति- 6 4. महिलाएं- 6 5. सिक्ख -4

6. यूरोपियन -7 7. आंग्ल भारतीय -1 8. भारतीय ईसाई-2

Edit with WPS Office

# संघीय विधानमंडल

- **संघीय सभा-** सदस्यों की संख्या 375 होनी थी जिसमें प्रांतों के 250 सदस्य तथा रियासतों के अधिकारिक 125 सदस्य  होने थे। इसकी कार्य अवधि 5 वर्ष की थी तथा अंग्रेजी प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने जाते थे और रियासतों के सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे।
- 250 स्थानों में से 246 स्थान सांप्रदायिक तथा अन्य हितों के आधार पर ब्रिटिश प्रांतों में विभक्त थे एवं चार स्थान व्यापार ,उद्योग तथा श्रमिकों के लिए निश्चित थे।

Edit with WPS Office

# संघीय विधानमंडल

- 246 स्थान निम्न रूप से विभाजित थे-

105 सामान्य स्थान(19 अनुसूचित जातियों के लिए इसमें से सुरक्षित), 82-मुस्लिम, 6-सिक्ख, 8-यूरोपीयन, 8-आंग्ल- ईसाई, 4-आंग्ल- भारतीय, 9-महिलाएँ, 8-वाणिज्य तथा औद्योगिक संवर्ग, 9-श्रमिक वर्ग तथा 7- जमींदार वर्ग के रूप में विभिन्न प्रांतों के बीच विभक्त कर दिए गए।

Edit with WPS Office

# बजट

- बजट को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था -मुख्य व्यय एवं अन्य व्यय। मुख्य खर्च के लिए संघीय विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती थी, जैसे रक्षा व्यय,ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज ,अधिकारियों का भारी वेतन एवं पेंशन। इस तरह बजट के तीन चौथाई से अधिक भाग पर संघीय विधायिका का कोई नियंत्रण ना था
- अधिनियम ने नए केंद्रीय रिजर्व बैंक को सावधानीपूर्वक असेंबली के नियंत्रण से बाहर रखा।

Edit with WPS Office

# संघीय न्यायालय

- दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था जिसका मुख्य कार्य केंद्र एवं प्रांतों के मध्य विवादों का निपटारा करना था ।इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तीन अन्य न्यायाधीश एवं दो सहायक न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान था। न्यायाधीशों का चयन सम्राट का अधिकार था। 1 अक्टूबर 1937 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। यह संघ में शामिल होने वाली देसी रियासतों के मध्य विवाद को भी देखता था साथ ही गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों में संघीय न्यायालय परामर्श दे सकता था।

Edit with WPS Office

# प्रांतीय प्रशासन

- अधिनियम की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक मामलों में गवर्नर को अपने मंत्रियों के सलाह पर कार्य करना पड़ता था जिनका इस प्रकार प्रांतीय प्रशासन पर कारगर नियंत्रण होता था ।मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती थी लेकिन उन्हें सामान्तया निर्वाचित विधानसभाओं के प्रति उत्तरदाई होना था।

Edit with WPS Office

# प्रांतीय प्रशासन

- इस ऐक्ट ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया। 11 गवर्नर प्रांत( मद्रास, मुंबई ,बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, केंद्रीय प्रांत और बरार, असम, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत ,उड़ीसा तथा सिंध) तथा पांच मुख्य आयुक्त के प्रांत  थे ब्रिटिश बलूचिस्तान ,अजमेर ,मारवाड़, कुर्ग ,अंडमान-निकोबार।
- अदन एवं बर्मा को इस ऐक्ट के जरिए अलग कर दिया गया तथा सिंध एंव उड़ीसा नामक नए प्रांत बनाए गए।

Edit with WPS Office

# प्रावधान

- भारत का प्रशासनिक नियंत्रण 1919 के अधिनियम में सपरिषद भारत सचिव नामक निकाय में केंद्रित था।1919 के अधिनियम के निरस्त होने से ब्रिटिश भारत के प्रशासन से संबंधित सभी अधिकार ब्रिटिश राजा में निहित हो गए एवं गवर्नर तथा गवर्नर जनरल सभी अपनी शक्ति राजा द्वारा प्राप्त करते थे ।

Edit with WPS Office

# प्रांतीय प्रशासन

- प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका तथा विधानमंडल का प्रावधान था। इस अधिनियम द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई -बंगाल , मुंबई, मद्रास ,संयुक्त प्रांत, बिहार। संघीय सरकार को प्रांतीय विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं रहे। प्रांतों से द्वैध शासन के तहत आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर को समाप्त करते हुए प्रांतीय प्रशासन मंत्रिमंडल को सौंपा गया, किंतु गवर्नर जनरल आंतरिक शांति भंग होने एंव युद्ध के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा कर प्रांतीय स्वायत्तता का अतिक्रमण कर सकता था।

To be continued……

Edit with WPS Office